भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों को अधिशासित करने वाले सतर्कता/अनुशासनात्मक नियम

बैंक के कर्मचारियों को अधिशासित करने वाले सतर्कता/अनुशासनात्मक नियम इस प्रकार हैं:

i) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को बाहरी संगठनों से उधार लेने / ऋण के संबंध में जमानती बनने के लिए बैंक से **पूर्व अनुमति** प्राप्त करनी अपेक्षित है। अधिकारियों के लिए ₹15 लाख, श्रेणी III कर्मचारियों के लिए ₹10 लाख और श्रेणी IV कर्मचारियों के लिए ₹5 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। उक्त उच्चतम सीमा सभी बाहरी स्रोतों को एक साथ मिलाकर होगी, चाहे ऋण के माध्यम से या जमानती बनने के माध्यम से। **वाणिज्यिक प्रयोजनों** हेतु उधार के लिए जमानती बनने/गारंटी देने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को सीधे तौर पर **अस्वीकृत** कर दिया जाएगा।

ii) निविदा समिति के सदस्यों को उचित समय पर यह वचन देना होता है कि उनमें से किसी का भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों/एजेंसियों में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। किसी भी कंपनी में हित रखने वाले किसी भी सदस्य को निविदा समिति में भाग लेने से बचना चाहिए।

iii) अधिकारी स्टाफ़ को अचल संपत्तियों के अधिग्रहण/निपटान के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है और चल परिसंपत्तियों में मूल वेतन के दोगुने से अधिक लेनदेन को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करना होता है। अधिकारियों और श्रेणी III कर्मचारियों को भी प्रत्येक वर्ष क्रमशः 1 जनवरी और 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा धारित अचल संपत्तियों और शेयरों/प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की संवीक्षा की जाती है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि घोषित परिसंपत्तियां उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक हैं या नहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 के विनियम 43 और 44 (2) के अनुसार **निवेश पर प्रतिबंध** है।

'**कर्मचारी कोटे के शेयर/प्रतिभूतियां**' - बैंक के किसी भी कर्मचारी द्वारा कर्मचारी कोटे से शेयरों/प्रतिभूतियों का अधिग्रहण झूठा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के समान है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 के तहत कदाचार माना जाएगा और ऐसा कर्मचारी उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यह परिवार सदस्यों के नाम पर कर्मचारी कोटे से किए गए शेयरों/प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर भी लागू होगा। तथापि यह उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां परिवार के सदस्य जारी करने वाली कंपनी के वास्तविक कर्मचारी हैं।

प्रवर्तक कोटे के शेयर/प्रतिभूतियां - प्रवर्तक कोटे के शेयरों हेतु आवेदन करना और उनके आबंटन को स्वीकार करना भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 के विनियम 44 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी असाधारण परिस्थितियों में (कंपनी का मुख्य प्रवर्तक/निदेशक उसका घनिष्ठ रिश्तेदार होने के कारण) प्रवर्तक कोटे के शेयर/प्रतिभूतियां अधिग्रहीत करना चाहता है, तो उसे निधि के स्रोत सहित पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हुए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को मुख्य प्रवर्तक/निदेशक का मित्र/सहयोगी होने का दावा करके प्रवर्तक कोटे से खरीदने की अनुमति नहीं है।

iv) आधिकारिक कार्यों (निरीक्षण, संवीक्षा, सत्यापन आदि) हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारियों को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उल्लेख किया जाता है कि उस संगठन में अधिकारी का कोई परिवार सदस्य नौकरी नहीं कर रहा है।

v) जब भी किसी अधिकारी के परिवार का कोई सदस्य किसी बैंक, सहकारी बैंक सहित, वित्तीय संस्थान, सहायता-प्राप्त कंपनी/संस्थान, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी अन्य संस्था या रिज़र्व बैंक के किसी भी घटक में किसी भी पद पर रोजगार प्राप्त करता है या इन संस्थाओं के साथ कोई भी पेशेवर / व्यावसायिक संव्यवहार जैसे कि लेखा परीक्षा, कंसल्टेंसी, एजेंसी, संविदा आदि निष्पादित करता है, तो संबन्धित अधिकारी द्वारा, उनके परिवार के सदस्य/सदस्यों द्वारा इस तरह के रोजगार प्राप्त करने या पेशेवर / व्यावसायिक संव्यवहार को निष्पादित किए जाने के एक सप्ताह के भीतर, ऐसे रोजगार या पेशेवर / व्यावसायिक संव्यवहार की सूचना, सभी संबंधित विवरणों के साथ, बैंक को निर्धारित प्रारूप में देना होता है। इस रिपोर्टिंग सिस्टम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार या कारोबारी व्यावसायिक संव्यवहार प्रथम दृष्टया सामान्य रूप से बिना किसी पक्षपात या प्रभाव के किया गया है।

vi) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा विदेशों में किए गए निजी दौरों की जानकारी वार्षिक आधार पर एकत्र की जाती है और उनकी जांच/संवीक्षा की जाती है। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।

vii) कार्यालयों/विभागों को सूचित किया गया है कि वे ऋणों की चुकौती में चूक के संबंध में और अत्यधिक ऋणग्रस्तता के मामलों में स्टाफ़ सदस्यों के विरुद्ध की गई शिकायतों पर त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।